न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
12/2018 प्रा.पत्र/2018	05.02.2018	14.12.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री यशवन्त साहू पुत्र श्री किशन गोपाल साहू जाति तेली निवासी जाटा पाडा संघपुरा पुरानी टोंक, टोंक जिला टोंक विक्रेता मैसर्स भूरालाल रामस्वरूप सुभाष बाजार घण्टाघर टोंक जिला टोंक राज.।

2—श्री रामस्वरूप पुत्र श्री भूरालाल साहू प्रोपरायटर मैसर्स भूरालाल रामस्वरूप सुभाष बाजार घण्टाघर टोंक जिला टोंक राज.।

3—मैसर्स भूरालाल रामस्वरूप सुभाष बाजार घण्टाघर टोंक जिला टोंक राज.।

4—श्री भागचन्द जैन पुत्र श्री प्रहलाद चंद जैन निवासी वार्ड नं. 15, रघुनाथपुरी, बडा तख्ता, टोंक जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स संघी एण्ड ब्रदर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक।

5—मैसर्स संघी एण्ड ब्रदर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक।

6—श्री आशीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता निवासी 04/206, संगम विहार कॉलोनी, न्यू मंडी रोड, दौसा पिनकोड—303303, नॉमिनी मैसर्स भारत फूड्स कॉ—ऑपरेटिव लिमिटेड प्लॉट नं. 34, दुकान नं. 1, कामाणी, फैक्ट्री रोड, इण्ड. एरिया, झोटवाडा, जयपुर राज.। पिनकोड—302013/खसरा नं. 189, ग्राम मिठी रोहर, गांधीधाम कच्छ, गुजरात। पिनकोड—370201

7—मैसर्स भारत फूड्स कॉ—ऑपरेटिव लिमिटेड प्लॉट नं. 34, दुकान नं. 1, कामाणी, फैक्ट्री रोड, इण्ड. एरिया, झोटवाडा, जयपुर राज.। पिनकोड—302013/खसरा नं. 189, ग्राम मिठी रोहर, गांधीधाम कच्छ, गुजरात। पिनकोड—370201

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थीगण एवं अभिभाषक श्री विक्रम जैन एवं श्री प्रदीप कुमार साहू एड. उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 14.12.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.09.2017 को समय 12:00 पीएम पर मैसर्स भूरालाल रामस्वरूप सुभाष बाजार घण्टाघर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री यशवन्त साहू पुत्र श्री किशन गोपाल साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री यशवन्त साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु कागज के कार्टून में लगभग 60 पैकेट प्रत्येक 1 लीटर के **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन)** रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री यशवन्त साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री यशवन्त साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन)** जिसके बैच नं./लोट नं. 15 व पैकिंग की दिनांक अगस्त 2017 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1 लीटर के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन)** 1 लीटर के 4 मूल पैक के नियमानुसार 1–1 पैकेट वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1719 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1719 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री यशवन्त साहू पुत्र श्री किशन गोपाल साहू ने बतौर वारन्टी मैसर्स संघी एण्ड ब्रदर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स संघी एण्ड ब्रदर्स से आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स भारत फूड्स कॉ–ऑपरेटिव लिमिटेड प्लॉट नं. 34, दुकान नं. 1, कामाणी, फैक्ट्री रोड, इण्ड. एरिया, झोटवाडा, जयपुर बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4527 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. /590/एक्ट/2017/590 दिनांक 22.09.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में व्यवहारी मैसर्स भारत फूड्स कॉपरेटिव लिमिटेड ने पुनः नमूना जांच रिपोर्ट हेतु

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फार्म नं. 8 प्रस्तुत कर अपील की दायर की। इस बाबत उक्त नमूना निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर में जांच हेतु भिजवाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफएसएसए/18/148 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(577एफ)/2017 दिनांक 11.01.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि अन्तिम रूप से मान्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं मय अभिभाषक श्री विक्रम जैन एवं श्री प्रदीप कुमार साहू एड. उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित हैं। मात्र विटामिन ए की जांच में यह मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण, उनके अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (सुमन))** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/— (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0